आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005

डॉ. मंजू पाण्डेय
आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

दृष्टि

- रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया की संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का अवलोकन

- यह आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन का प्रावधान करने वाला अधिनियम है निम्नलिखित प्राधिकरण बनाता है:
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)
- राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी)
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ)
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए)
- राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी)
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ)
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)
- अपराध और दंड निर्धारित करता है

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के उद्देश्य

- ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम, तैयारी और लचीलापन की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- प्रौद्योगिकी, पारंपरिक, ज्ञान और पर्यावरणीय स्थिरता के आधार पर शमन उपायों को प्रोत्साहित करना।
- विकास योजना प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाना।
- एक सक्षम नियामक वातावरण और एक अनुपालन व्यवस्था बनाने के लिए संस्थागत और तकनीकी-कानूनी ढांचे की स्थापना करना।
- आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और निगरानी के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ उत्तरदायी और असफल सुरक्षित संचार द्वारा समर्थित समकालीन पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना।
- समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों के प्रति देखभाल के दृष्टिकोण के साथ कुशल प्रतिक्रिया और राहत सुनिश्चित करना। सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रतिरोधी संरचनाओं और आवास के निर्माण के अवसर के रूप में पुनर्निर्माण करना।
- आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ उत्पादक और सक्रिय को बढ़ावा देना।

- आपदाओं की रोकथाम और शमन प्रभावों के लिए और किसी भी आपदा की स्थिति के लिए समग्र, समन्वित और त्वरित प्रतिक्रिया करने के लिए सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन पर एक कानून बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि इसके कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने और निगरानी के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र प्रदान किया जा सके। आपदा प्रबंधन योजनाएं, सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा उपायों को सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में पेश किया गया था।

- मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। यह विधेयक संबंधित मंत्रालयों या विभागों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार विभागवार योजनाएँ बनाने का भी प्रावधान करता है। यह एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रावधान करता है। विधेयक राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय कोष और आपदा न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कोष और इसी तरह के कोष के गठन का प्रावधान करता है। यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ नगर पालिकाओं जैसे शहरी स्थानीय निकायों सहित आपदा प्रबंधन में स्थानीय निकायों की विशिष्ट भूमिका का प्रावधान करता है।

- यह एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रावधान करता है। विधेयक राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय कोष और आपदा न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कोष और इसी तरह के कोष के गठन का प्रावधान करता है। यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ नगर पालिकाओं जैसे शहरी स्थानीय निकायों सहित आपदा प्रबंधन में स्थानीय निकायों की विशिष्ट भूमिका का प्रावधान करता है। प्रस्तावित अधिनियमन आपदाओं के शमन के लिए प्रभावी कदमों को सुगम बनाएगा, आपदाओं के लिए प्रभावी तैयारी और समन्वय के साथ-साथ उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामले भी। विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

3\. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। -

(१) ऐसी तारीख से, जो केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में जाना जाने वाला एक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा।

(२) राष्ट्रीय प्राधिकरण शाह में अध्यक्ष और नौ से अनधिक उतने अन्य सदस्य होते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और जब तक कि नियमों में अन्यथा प्रावधान न हो, राष्ट्रीय प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

(ए) भारत के प्रधान मंत्री, जो राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, पदेन;

(बी) राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले अन्य सदस्य, नौ से अधिक नहीं।

(३) राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष उप-धारा (२) के खंड (बी) के तहत नामित सदस्यों में से एक को राष्ट्रीय प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नामित कर सकता है;

(४) राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

एनडीएमए की शक्तियां और कार्य (धारा 6

- आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करें।
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगी।
- राष्ट्रीय योजना में निम्न के लिए उपाय शामिल होंगे: आपदाओं की रोकथाम और शमन, योजनाओं में शमन उपायों का एकीकरण, तैयारी और क्षमता निर्माण।
- एनडीएमए आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश करेगा
- (२) विशेष रूप से और उप-धारा (१) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार उस उप-धारा के तहत जो उपाय कर सकती है, उनमें निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के संबंध में उपाय शामिल हैं, अर्थात्: (ए) आपदा प्रबंधन के संबंध में भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों का समन्वय; (बी) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं की रोकथाम और शमन के उपायों के एकीकरण को सुनिश्चित करना; (सी) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा की रोकथाम, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारियों के लिए धन का उचित आवंटन सुनिश्चित करना; (डी) सुनिश्चित करें कि भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा से तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारियों के लिए आवश्यक उपाय करें;

- (ई) राज्य सरकारों को उनके द्वारा अनुरोध किए गए या अन्यथा उनके द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर सहयोग और सहायता;
- (च) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नौसेना, सैन्य और वायु सेना, संघ के अन्य सशस्त्र बलों या किसी अन्य नागरिक कर्मियों की तैनाती की आवश्यकता हो सकती है;
- (छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विदेशों की सरकारों के साथ समन्वय;
- (ज) आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के लिए संस्थान स्थापित करना;
- (i) ऐसे अन्य मामले जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन समझे।
- (३) केंद्र सरकार बड़ी आपदा से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता प्रदान कर सकती है, जो वह उचित समझे।

स्थानीय अधिकारी

- 41. स्थानीय प्राधिकरण के कार्य-
- (ठ) जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए, एक स्थानीय प्राधिकरण सुनिश्चित करें कि इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया गया है;
- सुनिश्चित करें कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का रखरखाव इस प्रकार किया जाता है कि किसी भी आपदा की स्थिति या आपदा की स्थिति में उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध हो;
- सुनिश्चित करें कि इसके तहत या इसके अधिकार क्षेत्र में सभी निर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं की रोकथाम और शमन के लिए निर्धारित मानकों और विशिष्टताओं के अनुरूप हैं;
- राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों को अंजाम देना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान-(ठ) ऐसी तारीख से जो केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियत करे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नाम से एक संस्थान का गठन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशा-निर्देशों के भीतर कार्य करेगा, डी
- आपदा प्रबंधन, प्रलेखन और आपदा से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के सूचना आधार के विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान की योजना बनाने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होगा।
- प्रबंधन नीतियां, रोकथाम तंत्र और शमन।
- (ए) प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना, आपदा प्रबंधन में अनुसंधान और प्रलेखन करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- (बी) आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक मानव संसाधन विकास योजना तैयार करना और कार्यान्वित करना;
- (सी) राष्ट्रीय स्तर की नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना;

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल

- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल-(ठ) आपदा की आशंका वाली स्थिति या आपदा के लिए विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा। (२) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, बल का गठन इस तरह से किया जाएगा और, अनुशासनात्मक प्रावधानों सहित बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जा सकती हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन (धारा 8)

- अध्यक्षः भारत सरकार के सचिव, मंत्रालय या विभाग के प्रभारी आपदा प्रबंधन के प्रभारी वर्तमान में, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय है जो आपदा प्रबंधन का प्रभारी है और केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं।
- कृषि,
- परमाणु ऊर्जा,
- रक्षा,
- पेयजल आपूर्ति,
- पर्यावरण और वन,
- वित्त (व्यय),
- स्वास्थ्य,
- बिजली,
- ग्रामीण विकास,
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि मंत्रालयों के सचिव चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख

उप-समितियां (धारा 21)

- राज्य कार्यकारिणी समिति कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए "उप-समितियां" बना सकती है राज्य कार्यकारी समिति के पास अपने सदस्यों में से एक को "उप-समिति" के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की शक्तियाँ हैं। विशेषज्ञों को राज्य सरकार द्वारा उप-समितियों और भुगतान किए गए भत्तों से जोड़ा जा सकता है

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- 14. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना-(1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक राज्य की स्थापना करेगी। राज्य के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऐसे नाम के साथ जो राज्य सरकार की अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (२) एक राज्य प्राधिकरण में अध्यक्ष और इतनी संख्या में अन्य सदस्य होंगे, जो नौ से अधिक नहीं होंगे; जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और, जब तक कि नियम अन्यथा प्रदान न करें, राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: राज्य के मुख्यमंत्री, जो अध्यक्ष होंगे, पदेन; (बी) राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित आठ से अनधिक अन्य सदस्य; (सी) राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, पदेन। (3) राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष उप-धारा (2) के खंड (बी) के तहत नामित सदस्यों में से एक को राज्य के उपाध्यक्ष के रूप में नामित कर सकते हैं। अधिकार।

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) की संरचना

1	उत्तराखंड के मुख्यमंत्री	अध्यक्ष, पदेन
2	राजस्व मंत्री	उपाध्यक्ष
3	गृह मंत्री	सदस्य
4	ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री	सदस्य
5	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	सदस्य
6	कृषि मंत्री	सदस्य
7	लोक निर्माण मंत्री	सदस्य
8	पशुपालन मंत्री	सदस्य
9	आवास, सूचना, आईटीबीटी और बीडब्ल्यूएसएसबी	सदस्य
10	ऊर्जा मंत्री	स्थायी आमंत्रित
11	राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष (मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
12	सचिव, आपदा प्रबंधन एवं राहत आयुक्त	सदस्य सचिव

- (४) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, पदेनः बशर्ते कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर, विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के मामले में, मुख्यमंत्री होगा इस धारा के तहत स्थापित प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, उपराज्यपाल या प्रशासक उस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगेः

राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन (धारा 20)

- अध्यक्ष: राज्य सरकार के मुख्य सचिव राज्य सरकार के विवेकाधिकार पर राज्य सरकार के सचिव अध्यक्ष के पास राज्य सरकार द्वारा दी गई शक्तियाँ और राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ होंगी।

उत्तराखंड राज्य कार्यकारी समिति की संरचना

1	मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार	अध्यक्ष, पदेन
2	अतिरिक्त। मुख्य सचिव/विकास आयुक्त	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, ऊर्जा	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, कृषि	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, आरडीपीआर	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह	सदस्य
8	सचिव राजस्व (डीएम)	सदस्य सचिव

राज्य कार्यकारिणी समिति के कार्य (धारा 22)

- आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य योजना लागू करें राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी निकाय आपदा की संवेदनशीलता की जांच करना और रोकथाम और शमन के उपायों को निर्दिष्ट करना सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
- विभाग जिला प्राधिकरण और सुनिश्चित करें कि संचार प्रणाली क्रम में हैं और आपदा प्रबंधन अभ्यास समय-समय पर किए जाते हैं राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित, समीक्षा और अद्यतन करना और यह सुनिश्चित करना कि जिला स्तरीय योजनाएं तैयार, समीक्षा और अद्यतन की जाती हैं जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण को उन निर्माणों के मानकों का पालन करने का निर्देश दें जो आपदाओं की चपेट में हैं।
- संवेदनशील आपदाओं के लिए सामान्य शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना या जिला अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को सलाह देना आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकरण को जानकारी प्रदान करना आपदा के संबंध में सभी वित्तीय मामलों के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- 25. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन-(ठ) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी। राज्य के प्रत्येक जिले को ऐसे नाम से जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। (२) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और सात से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न हो, इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:
- (ए) जिले का कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, जो अध्यक्ष, पदेन होगा;
- (बी) स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि जो सह अध्यक्ष होंगे, पदेन: बशर्ते कि जनजातीय क्षेत्रों में, जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट है, स्वायत्त जिले की जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य, सह-अध्यक्ष, पदेन होंगे;
- (सी) जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पदेन;
- (डी) पुलिस अधीक्षक, पदेन;
- (ई) जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पदेन;
- (च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो अन्य जिला स्तरीय अधिकारी से अनधिक।

- (३) किसी भी जिले में जहां जिला परिषद मौजूद है, उसका अध्यक्ष होगा जिला प्राधिकरण के सह-अध्यक्ष।
- (४) राज्य सरकार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसा भी मामला हो, जिले के अतिरिक्त कलेक्टर या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त उपायुक्त की पंक्ति के नीचे के अधिकारी को नियुक्त करेगी और ऐसे कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियां और कार्य जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन (धारा 25)

- अध्यक्ष – जिला मजिस्ट्रेट या जिले के उपायुक्त सह-अध्यक्ष –
- स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि (जिला पंचायत)
- अन्य सदस्य जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दो अन्य जिला स्तरीय अधिकारी सदस्यों की संख्या 7 से अधिक नहीं होगी

जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां (धारा 26)

- जिला प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता जिला प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन आपात स्थिति के मामले में, अध्यक्ष के पास जिला प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति है (बाद में अनुसमर्थन के अधीन) अध्यक्ष अपनी शक्तियों को जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप सकता है

सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन (धारा 28)

- कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए, जिला प्राधिकरण सलाहकार समितियाँ और अन्य समितियाँ बना सकता है।
- जिला प्राधिकरण के एक सदस्य को अन्य समितियों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- विशेषज्ञ सलाहकार समितियों से जुड़े हो सकते हैं और राज्य सरकार से भत्ते का भुगतान किया जा सकता है

जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य (धारा 30)

- जिला प्राधिकरण जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करता है
- जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करें और आपदाओं को रोकने के लिए विभागों और स्थानीय अधिकारियों को उपाय सुझाएं
- सुनिश्चित करें कि आपदा रोकथाम के लिए राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन विभागों द्वारा किया जाता है
- जिला स्तर पर सरकारों के विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना
- ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना किसी भी आपदा से निपटने के लिए क्षमताओं की स्थिति की समीक्षा करना और संबंधित विभागों या अधिकारियों को उनके उन्नयन के लिए निर्देश देना,
- जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और समन्वय करना।
- स्थानीय प्राधिकरणों और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय से आपदा की रोकथाम के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करना प्रारंभिक चेतावनियों और जनता के लिए उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना, रखरखाव, समीक्षा और उन्नयन आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना या
- जिले में स्थानीय अधिकारियों को उनके कार्यों को करने के लिए सलाह देना उन भवनों और स्थानों की पहचान करना जिनका उपयोग राहत शिविरों के लिए किया जा सकता है और स्वच्छता और जल आपूर्ति सुविधा का निर्माण करना राहत और बचाव सामग्री का भंडार स्थापित करना या ऐसी सामग्री को अल्प सूचना पर उपलब्ध कराने की तैयारी सुनिश्चित करना आपदा प्रबंधन अभ्यास करें
- जिले में किसी भी विभाग और स्थानीय प्राधिकरण के पास उपलब्ध संसाधनों को जारी करने और उपयोग करने के निर्देश देना संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र से और उसके भीतर वाहनों के यातायात को नियंत्रित और प्रतिबंधित करना किसी संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर और प्रस्थान को नियंत्रित और प्रतिबंधित करना आश्रय, भोजन, पीने का पानी और आवश्यक प्रावधान, स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करना, प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन संचार प्रणाली स्थापित करना सलाह और सहायता के लिए संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञों और सलाहकारों की आवश्यकता होती है किसी भी प्राधिकरण या व्यक्ति से सुविधाओं का अनन्य या अधिमान्य उपयोग प्राप्त करना सुनिश्चित करें कि गैर-सरकारी संगठन अपनी गतिविधियों को न्यायसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से करते हैं

Organizational Structure for Disaster Management in Uttarakhand

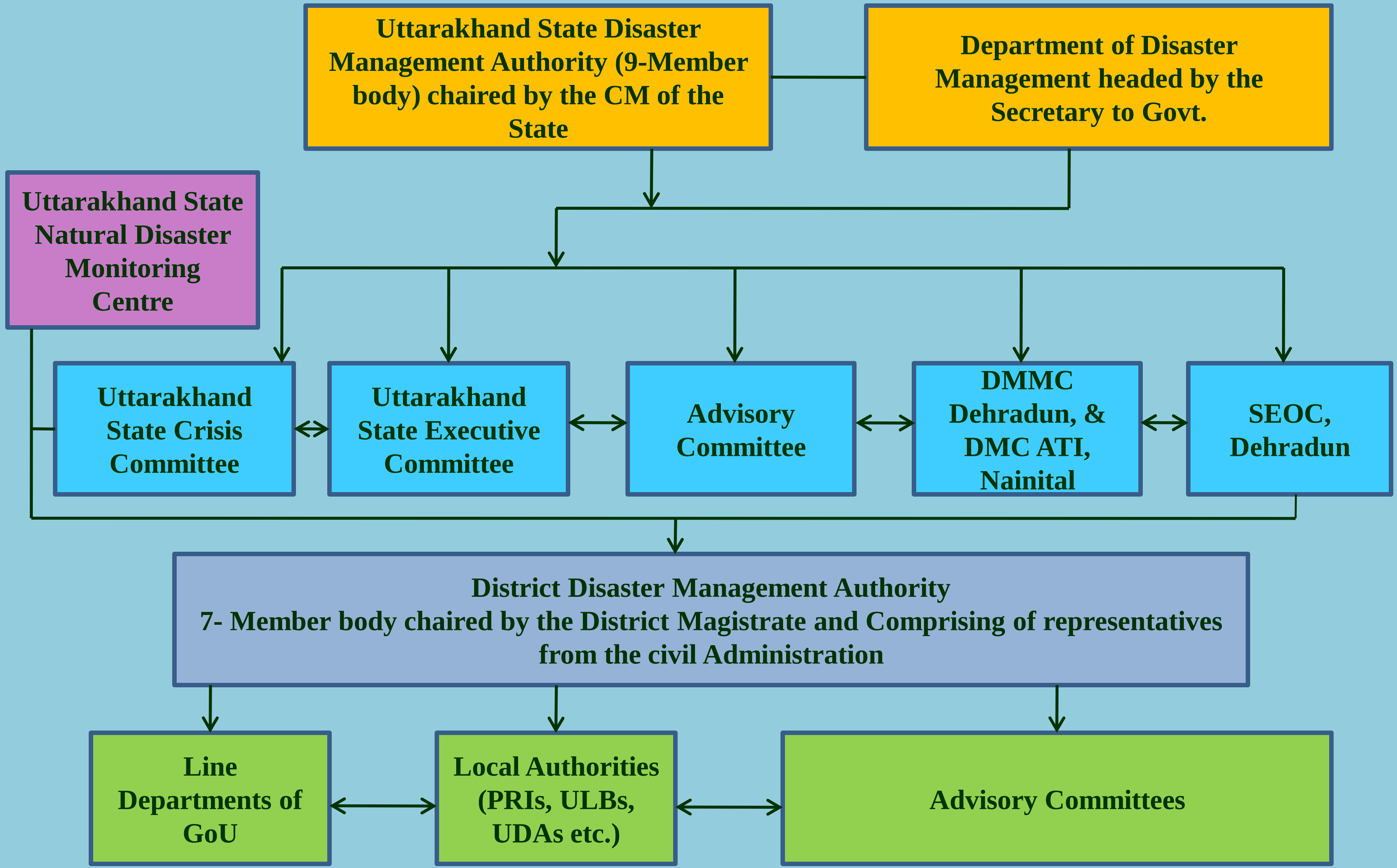

NATIONAL DISASTER MANAGEMENT STRUCTURE

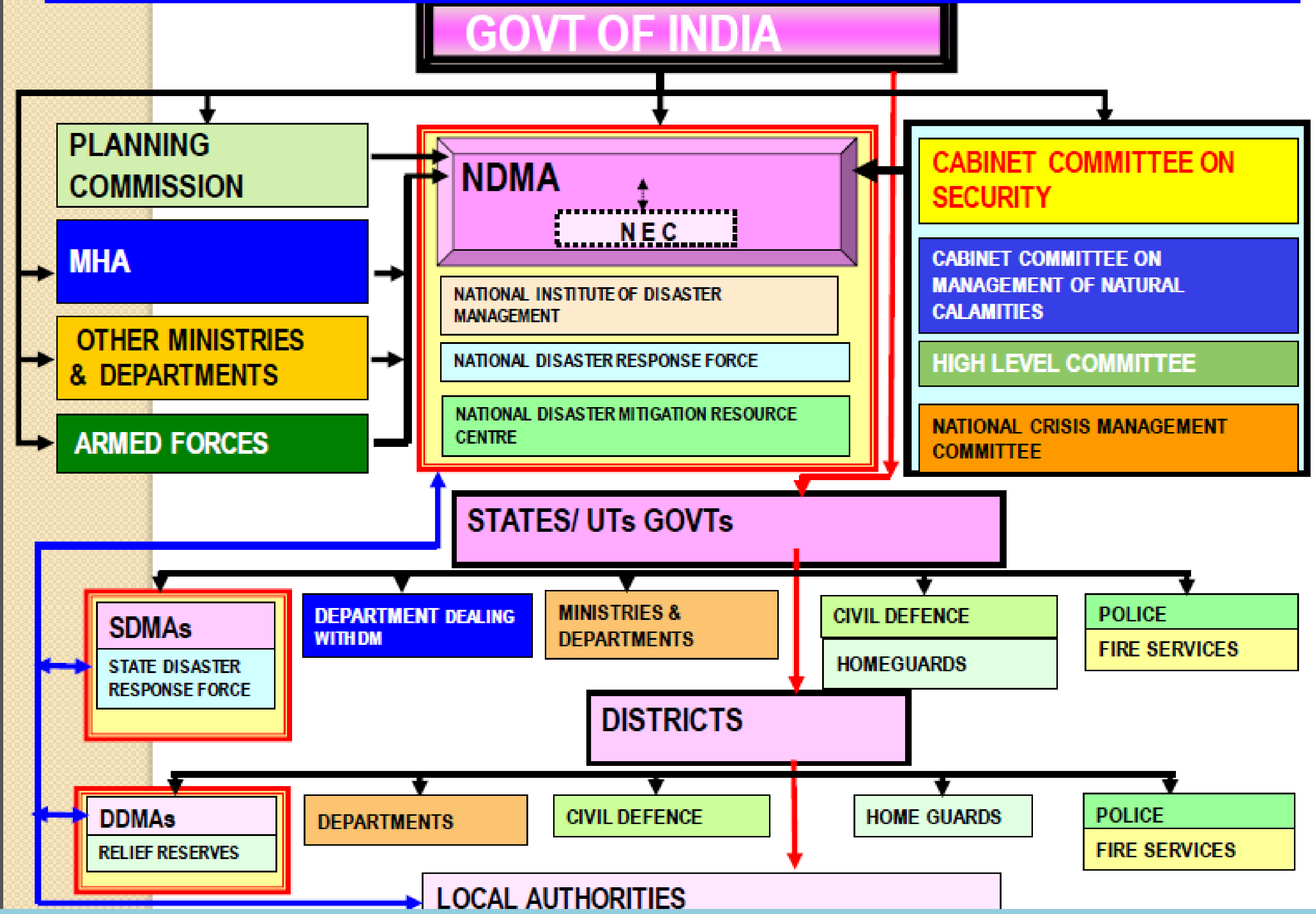

NDMP 2016 – National Institutional Framework

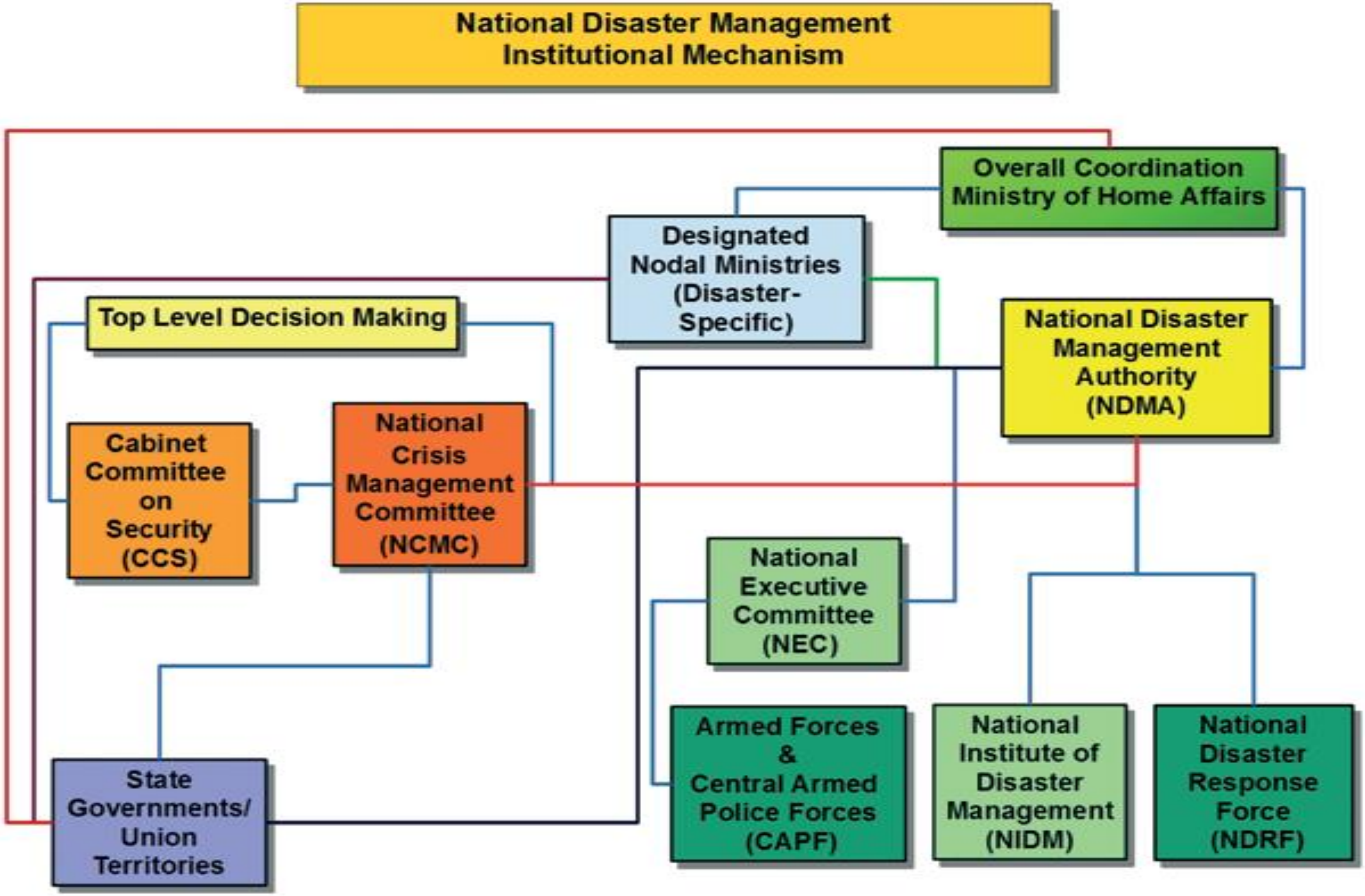

NDMP 2016 – State level Institutional Framework

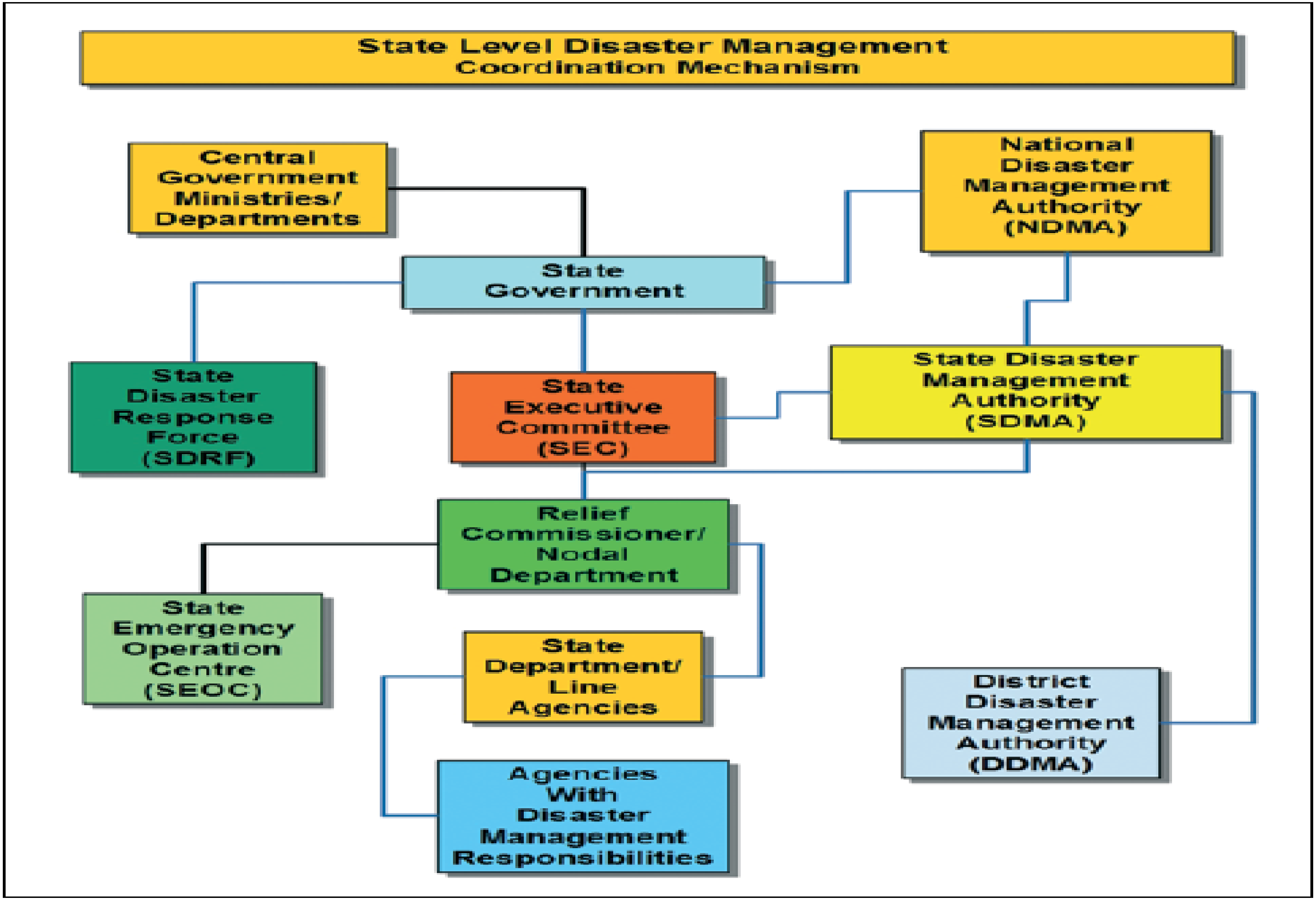

Figure 1-3: State-level disaster management - basic institutional framework

वित्त और लेखा अनुभाग (46-50)

- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राष्ट्रीय शमन कोष (NDMF) का गठन किया। राज्य सरकार ने राज्य प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राज्य शमन कोष (एसडीएमएफ) का गठन किया। रिटेन-एनईसी के अध्यक्ष ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ फंड का उपयोग करने के आदेश जारी किए।

अपराध और दंड (अध्याय X)

- रुकावट के लिए सजा झूठे दावे के लिए सजा
- धन या सामग्री के दुरूपयोग के लिए दंड
- झूठी चेतावनी के लिए सजा
- सरकार के विभागों द्वारा अपराध ड्यूटी में अधिकारी की विफलता
- कंपनियों द्वारा अपराध

रुकावट के लिए सजा (धारा 51)

दंडनीय कार्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कर्तव्य निर्वहन करने वाले अधिकारियों के कार्यों में बाधा डालने के लिए अधिनियम के तहत दिए गए आदेशों का पालन नहीं करने पर

सजा:

1 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों।

जीवन की हानि के परिणामस्वरूप 2 वर्ष कारावास

झूठे दावे के लिए सजा (धारा 52)

दंडनीय कार्य: सरकारी अधिकारियों से किसी भी आपदा संबंधी राहत या लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर झूठे दावे करना

सजा: दो साल की कैद जुर्माना

धन या सामग्री का दुरूपयोग (धारा 53)

दंडनीय कार्य जिसे भी आपदा न्यूनीकरण के लिए धन या राहत सामग्री सौंपी जाती है यदि वह व्यक्ति ऐसी सामग्री का अपने स्वयं के उपयोग के लिए दुरुपयोग करता है

सज़ा दो साल की कैद जुर्माना

झूठी चेतावनी के लिए सजा (धारा 54)

दंडनीय कार्य

आपदा के बारे में झूठा अलार्म या चेतावनी बनाता या प्रसारित करता है या इसकी गंभीरता या परिमाण दहशत के लिए अग्रणी

सज़ा दो साल की कैद जुर्माना

सरकार के विभागों द्वारा अपराध (धारा 55)

- यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध किया गया है उस विभाग के मुखिया को ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाएगा अपवाद यदि अधिकारी यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अगर उसने व्यायाम किया होता अपराध को रोकने के लिए उचित परिश्रम यदि यह साबित हो जाता है कि विभाग के प्रमुख के अलावा कोई अन्य अधिकारी सरकार द्वारा अपराध करने में शामिल था। विभाग, ऐसा अधिकारी उत्तरदायी होगा।

ड्यूटी पर अधिकारी की विफलता (धारा 56)

- दंडनीय कार्य यदि किसी अधिकारी को इस डीएम अधिनियम के तहत एक कर्तव्य सौंपा जाता है और ऐसा अधिकारी ड्यूटी करने से मना कर देता है
- सज़ा एक साल की कैद जुर्माना अपवाद यदि ऐसे अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त की है, तो उसे छूट है मुकदमा चलाने से पहले राज्य/केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए

बचाव कार्यों को सुगम बनाने से इंकार करने पर शास्ति (धारा 57)

- धारा 65 के तहत, इस अधिनियम के तहत अधिकारियों के पास बचाव कार्यों के लिए संसाधन, वाहन और प्रावधान प्राप्त करने की शक्ति है यदि कोई व्यक्ति बचाव कार्यों के लिए ऐसे संसाधन/वाहन उपलब्ध कराने से इंकार करता है तो उसे दंडित किया जाएगा सज़ा 1 साल की कैद जुर्माना

कंपनियों द्वारा अपराध (धारा 58)

- यदि इस अधिनियम के तहत अपराध किसी कंपनी द्वारा किए गए हैं अपराध किए जाने के समय कंपनी/व्यवसाय चलाने के प्रभारी व्यक्ति (व्यक्तियों) को उत्तरदायी बनाया जाएगा यदि किसी निदेशक/प्रबंधक/सचिव या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी ने इस तरह के अपराध को अंजाम देने में मदद की, तो भी वे उत्तरदायी होंगे अपवाद: यदि व्यक्ति साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उचित परिश्रम किया था

अपराधों का संज्ञान (धारा 60)

- अदालतें इस अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान केवल इन परिस्थितियों में लेंगी यदि शिकायत इस अधिनियम द्वारा बनाए गए अधिकारियों द्वारा की जाती है यदि शिकायत उन अधिकारियों द्वारा की जाती है जिन्हें इस अधिनियम के तहत कर्तव्य सौंपा गया है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो अपराध के बारे में 30 दिनों का नोटिस देता है और इस अधिनियम के तहत अधिकारियों को औपचारिक शिकायत करने का इरादा रखता है।

चेतावनियों के संचार के लिए मीडिया को निर्देश (धारा 67)

- राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण किसी भी मीडिया को सरकार को सिफारिश कर सकते हैं किसी भी आपदा के संबंध में कोई चेतावनी या सलाह ले जाने के लिए ऐसा मीडिया निर्देश का पालन करेगा

शक्तियों का प्रत्यायोजन (धारा 69)

- डीएम अधिनियम की धारा 69: केंद्रीय गृह सचिव द्वारा सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को शक्तियों का प्रत्यायोजन। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति मई अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करना इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों के रूप में यह आवश्यक समझ सकता है

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (धारा 61)

- आपदा जोखिम में कमी, आपदा राहत या प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता से संबंधित किसी भी गतिविधि में - चाहे वह लिंग, जाति, समुदाय, वंश या धर्म पर आधारित हो - सभी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इन भेदभावों से निपटने के लिए COVID-19 के प्रकोप के दौरान आदेश जारी किए।

अधिभावी प्रभाव वाला अधिनियम (धारा 71)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एक विशेष कानून है आपदाओं को रोकने और आपात स्थिति में लागू करने के लिए अभिप्रेत है इसलिए यह एक विशेष कानून है और अन्य कानूनों को ओवरराइड करता है, भले ही अन्य कानूनों के प्रावधान इस अधिनियम के साथ असंगत हों।

चिंता के क्षेत्र

- एक पूर्व चेतावनी प्रणाली नेटवर्क को सक्रिय करना और इसकी बारीकी से निगरानी करना प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक एजेंसियों को एकीकृत करने के लिए तंत्र स्थलीय संचार लिंक जो एक तीव्र शुरुआत आपदा की स्थिति में ढह जाते हैं आपदा की घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (बिजली आपूर्ति, संचार, जल आपूर्ति, परिवहन, आदि) की सुभेद्यता
- अनुदान : आपदा प्रतिक्रिया के रूप में राहत की प्रधानता। तैयारी और शमन की अक्सर अनदेखी की जाती है। आपदा इतिहास और पारंपरिक प्रतिक्रिया पैटर्न पर डेटा, सूचना और स्थानीय ज्ञान एकत्र करने और संकलित करने के लिए एकीकृत प्रयासों का अभाव। भू-स्थानिक डेटा, उपग्रह इमेजरी और पूर्व चेतावनी संकेतों के संकलन और व्याख्या में मानकीकृत प्रयासों की आवश्यकता। कमजोर क्षेत्रों में पूर्वानुमान, मॉडलिंग, जोखिम पूर्वानुमान, अनुकरण और परिदृश्य विश्लेषण आदि जारी हैं।
- राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर के विशेषज्ञों की निर्देशिका और संसाधनों की सूची का अभाव। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तथा राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजनाओं का अभाव। प्रयासों की स्थिरता हितधारक समूहों, विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रथम प्रत्युत्तर एजेंसियों के लिए प्रभावी अंतर एजेंसी समन्वय और मानक संचालन प्रक्रियाएं। आपातकालीन दवा, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, ट्राइएज, प्राथमिक उपचार

आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसियां

- बाढ़ : जल संसाधन मंत्रालय, सीडब्ल्यूसी
- चक्रवात: भारतीय मौसम विभाग
- भूकंप : भारतीय मौसम विभाग
- महामारी : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवियन फ्लू: स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि और पशुपालन मंत्रालय
- रासायनिक आपदाएं: पर्यावरण और वन मंत्रालय औद्योगिक आपदाएं : श्रम मंत्रालय
- रेल दुर्घटनाएं : रेल मंत्रालय
- हवाई दुर्घटनाएं : नागर विमानन मंत्रालय
- आग : गृह मंत्रालय
- परमाणु घटनाएं : परमाणु ऊर्जा विभाग
- खान आपदाएं : खान विभाग

आपदाओं की गतिशीलता

- कम संभावना वाली घटना कहीं जल्द ही होने की उच्च संभावना है ...
- आपदा घटनाओं की अप्रत्याशितता और उच्च जोखिम और भेद्यता प्रोफाइल को आपदा की तैयारी को मजबूत करना,
- दिशानिर्देशों को कम करना और लागू करना,
- बिल्डिंग कोड और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों और तूफानी उछाल वाले तटीय क्षेत्रों में भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है।

भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नई दिशाएँ

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं। राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किए जाएंगे, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः मुख्यमंत्रियों और कलेक्टरों/जिला परिषद अध्यक्षों द्वारा की जाएगी।

- राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष का संचालन एनडीएमए द्वारा किया जाएगा। राज्य और जिले शमन निधि का प्रशासन करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के माध्यम से एनडीएमए द्वारा एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का प्रशासन किया जाएगा। राज्य और जिले क्रमशः राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और आपदा प्रतिक्रिया कोष का प्रशासन करेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 8 बटालियनों को आठ रणनीतिक स्थानों पर सीएसएसआर और एमएफआर उपकरणों और उपकरणों के साथ प्रशिक्षित और तैनात किया जा रहा है। एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया योजना भी तैयार की जाएगी।

सीखे गए सबक

- तैयार रहें:
- आपदा के बाद राहत बांटने की तुलना में तैयारी और शमन से अधिक प्रभावी रिटर्न मिलना तय है।
- तैयारी और रोकथाम की संस्कृति बनाएं।
- सभी हितधारकों के लिए एक आचार संहिता विकसित करें

भविष्य की दिशाएं

- ज्ञान नेटवर्क को प्रोत्साहित और समेकित करें
- अधिक प्रभावी तैयारी, शमन और प्रतिक्रिया (एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स, एनवाईके, सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स) के लिए आपदा स्वयंसेवकों को जुटाना और प्रशिक्षित करना।
- क्षमता निर्माण में वृद्धि से भेद्यता में तेजी से कमी आती है।
- आपदा तैयारी, शमन और आपदा प्रतिक्रिया में सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखें
- स्वयं सहायता समूहों, महिला समूहों, युवा समूहों, पंचायती राज संस्थानों की हितधारक भागीदारी को जुटाना प्रत्याशित शासन: सिमुलेशन अभ्यास, मॉक ड्रिल और परिदृश्य विश्लेषण स्वदेशी ज्ञान प्रणाली और मुकाबला करने के तरीके जोखिम के साथ जीना: समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन समावेशी, सहभागी, लिंग संवेदनशील, बच्चों के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल और विकलांगों के अनुकूल आपदा प्रबंधन प्रौद्योगिकी संचालित लेकिन स्वामित्व वाले लोग ज्ञान प्रबंधन: अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और प्रसार सरकारी निजी कंपनी भागीदारी

तैयारी में निवेश करें

- आपदा के बाद राहत पर पैसा खर्च करने के बजाय, तैयारी और रोकथाम (शमन) में निवेश स्थायी परिणाम देगा। अधिकांश आपदाएं पूर्वानुमेय होती हैं, विशेष रूप से उनके मौसम में और आपदा-प्रवण क्षेत्रों में जो असुरक्षित हैं। आपदा तैयारियों में समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए।

सर्वोत्तम प्रथाएं

- 12 नवंबर, 1970 को 223 किमी/घंटा की गति से बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में एक बड़ा चक्रवात आया। छह से नौ मीटर की ऊंचाई के तूफान के साथ, अनुमानित 500,000 (पांच लाख) लोग मारे गए।
- चक्रवात तैयारी कार्यक्रम के कारण, अप्रैल १९९१ चक्रवात २२५ किमी/घंटा की गति से हवा के साथ। उस समय तक तटीय आबादी दोगुनी होने के बावजूद केवल 1,38,000 लोगों की मौत हुई थी।
- मई 1994 में, इसी तरह के चक्रवात में 250 किमी / घंटा की हवा की गति के साथ। केवल 127 लोगों की जान चली गई।
- मई 1997 में, 200 किमी / घंटा की हवा की गति के साथ एक चक्रवात में। केवल 111 लोगों की जान चली गई।

नई संभावनाएं

- 70 शहरों के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन: कुछ प्रमुख महानगरों और बड़े शहरों में "अभूतपूर्व" चरम मौसम की स्थिति का हालिया अनुभव 100,000 ग्रामीण ज्ञान केंद्र (आईटी कियोस्क): आपदा संभावित क्षेत्रों में सूचित निर्णय लेने के लिए स्थानिक ई-गवर्नेंस की आवश्यकता: आपदाओं से पहले, आपदा के दौरान और बाद में